न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 31/2017
भानुमोती देवी - बनाम - मनेजर महतो
धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

18.7.17 अभिलेख उपस्थापित। विवादित भूमि देवरी थाना अन्तर्गत मौजा-घसकरीडीह खाता नं० 01 प्लॉट नं० 276 रकवा 2.07 डी० के मध्ये - 69 डी० चौहद्दी:- उ०-सड़क, द०-गैरमजरूआ पु०-हिस्सा-तेजलाल सिंह, प०-गैरमजरूआ पींड। उक्त भूमि के संबंध में सुनवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि कार्यवाही के अधीन चल रहे विवाद 69 डी० जमीन के मामलों में द्वितीय पक्ष को सिर्फ 50 डी० जमीन से मतलब है। शेष भूमि से उन्हे कोई मतलब नही है। क्योंकि उन्हे 50 डी० जमीन खरीदगी से प्राप्त है जिसके आधार पर वे दखलकार चले आ रहे है। भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ हुआ है।

अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद में प्रथम पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहे है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे कुछ नही कहना है।

अंचल अधिकारी देवरी के पत्रांक 527/दि० 04.7.17 के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता नं० 01 प्लॉट नं० 276 रकबा 2.07 डी० मध्ये 50 डी० जमीन पर खरीदगी के समय से ही द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा बना हुआ है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा पक्का मकान निर्मित किया गया है जिसका उपयोग

P.T.O.

Scanned with CamScanner

किया जा रहा है। इसलिए निषेधाज्ञा लगाने का कोई मतलब नही है।

वर्तमान में दोनो पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना नही है। अतएव इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु॰ दण्डा॰ अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रजौली महुआ।

Scanned with CamScanner